पटना में दिनांक–04 अक्टूबर, 2019 शुक्रवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

1. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2019–20 में अनुसूचित जाति के लिए 4 (चार) (परिशिष्ट–1) तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2(दो) आवासीय विद्यालयों (परिशिष्ट–2) के भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय ₹5100.00 लाख (इक्यावन करोड़ रू०) मात्र की दर से अनुसूचित जाति के लिए ₹20400.00 लाख (दो सौ चार करोड़ रू०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹10200.00 लाख (एक सौ दो करोड़ रू०) मात्र अर्थात् कुल–₹30600.00 (तीन सौ छः करोड़ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति के लिए ₹6120.00 लाख (इकसठ करोड़ बीस लाख रू०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹3060.00 लाख (तीस करोड़ साठ लाख रू०) मात्र अर्थात् कुल– ₹9180.00 लाख (इक्यानवे करोड़ अस्सी लाख रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

2. बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

3. श्री मो० अब्दुल्लाह (भारतीय पुलिस सेवा), तत्कालीन बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी को बिहार पुलिस सेवा में स्टाफ ऑफिसर, (लेवल–13) के पद पर दी गयी वैचारिक प्रोन्नति के स्थान पर वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति देने हेतु दिनांक 10.06.2014 से दिनांक 10.10.2017 तक की अवधि के लिए स्टाफ ऑफिसर के एक अधिसंख्य पद की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

5. बिहार रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

6. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन मद अंतर्गत राज्यांश मद में अग्रिम निकासी की स्वीकृति। 6. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

7. लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान मृत स्व० शिवेन्द्र किशोर, सहायक शिक्षक की आश्रिता पत्नी मो० कंचन कुमारी, ग्राम+पो०– रतवारा टोले विष्णुपुर, अंचल–बाजपट्टी, जिला–सीतामढ़ी को वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–वि०(27) पे०को०–78 / 2005 / 558 / वि० दिनांक 06.06.2019 की कंडिका–2(a)(ii) के आलोक में विशेष परिस्थिति में ₹30,00,000 / –(तीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं अन्तर राशि के भुगतान के संबंध में। 7. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. पथ प्रमंडल औरंगाबाद अंतर्गत बारूण–नवीनगर पथ के कि०मी० 0.00 से 35.10 तक (कुल पथांश लम्बाई 35.10 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, आर०सी०सी० ड्रेन कार्य, विविध कार्य सहित मजबूतीकरण कार्य हेतु रूपये 4999.37 लाख (उनचास करोड़ निनायन्बे लाख सैंतीस हजार) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

9. भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–8943(भ) दिनांक–12.09.2016 द्वारा अभियंत्रण कोषांग, शिक्षा विभाग के समायोजन के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त किये गये सहायक अभियंताओं की तदर्थ सेवा अवधि परिगणित कर रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

10. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, नियुक्ति प्रक्रिया, कैरियर संवर्द्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

11.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मापदण्ड, कैरियर संवर्द्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

12.	वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–3435– पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण, उप मुख्य शीर्ष –04–प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण, लघु शीर्ष–101–राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण, उप शीर्ष–0001– प्रदूषण नियंत्रण, विपत्र कोड– 19–3435041010001 के विषय शीर्ष– 0001.13.01– कार्यालय व्यय के अन्तर्गत ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	12.	स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

13.	पटना में श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वें जयंती के अवसर पर बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान जिसका नामकरण अब प्रकाशपुंज हो गया है, के निर्माण हेतु 54,16,64,198/–(चौवन करोड़ सोलह लाख चौसठ हजार एक सौ अंठानवे) रूपये की प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में अवशेष राशि 28,72,64,000/–(अठाईस करोड़ बहतर लाख चौसठ हजार) रूपये मात्र की वित्तीय वर्ष 2019–20 में बिहार आकस्मिकता निधि से प्रर्त्यपण के आलोक में राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति।	13.	स्वीकृत।